कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून (उत्तराखण्ड), 248006
ई.मेल : uttarakhandslna@gmail.com
बेबसाईट : www.iwmp-uttarakhand.in
फोन न0. 0135-2768712, 2760362
फैक्स न0. 0135-2760170, 2762839

पत्रांक /1-2/SLNA/ देहरादून दिनांक :27 अगस्त, 2011

सेवा में,

समस्त कार्यदायी संस्थायें
समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP)
उत्तराखण्ड।

विषय : समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) के कियान्वयन हेतु गठित जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति WWMC)के खाते संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में आप अवगत है कि समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम IWMP के कियान्वयन में ग्राम पंचायत स्तर पर खातों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 696/XII/11/86(53)/2005 दिनांक 25 अगस्त 2011 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है। कि ग्राम पंचायत स्तर "जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति" (WWMC) का पृथक खाता खुलवाकर शासनादेश के अनुरूप उसके संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उक्त खाते का संचालन अब ग्राम प्रधान व महिला वार्ड मेम्बर द्वारा होगा। आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश मय संलग्नकों के निदेशालय की Website: www.iwmp-uttarakhand.in पर भी उपलब्ध है।

अब तक आप द्वारा परियोजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों की "जल एवं जलागम प्रबन्धन समितियों" (WWMC) को (IWMP) के बारे में जागरूक कर दिया गया होगा। तथा डी0पी0आर0 की तैयारी व डब्लू0डी0टी0 सदस्यों का चयन भी किया जा चुका होगा। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को शीध्र अति शीध्र तैयार कर डी0डब्लू0डी0यू0 से संस्तुत कराकर एस0एल0एन0ए0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सलंग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक 486 /1-2/SLNA/ देहरादून /दिनांकित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिला अधिकारी /अध्यक्ष डी0डब्लू0डी0यू0 उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी /परियोजना प्रबन्धक उत्तरखण्ड।
3. सिस्टम मैनेजर WMD उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि सभी शासनादेशों को Website पर आज ही उपलब्ध करवाये।

(नीना ग्रेवाल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या /XII /11/86(53)/2005

प्रेषक

डा0पी0एस0गुंसाई,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—समस्त मण्डलायुक्त।
2—समस्त जिलाधिकारी।
3—समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग—1 देहरादून दिनांक 25 अगस्त,2011

विषयः केन्द्र पोषित समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम(आईडब्ल्यू0एम0पी0) के कियान्वयन हेतु गठित "जल एवं जलागम प्रबंधन समिति" के खाते के संचालन के संबधं मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज अनुभाग—2 उत्तर प्रदेश शासन अधिसूचना संख्या—4077 /33-2-99-48 जी/99, दिनांक, 29 जुलाई,1999 के कम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-970 / XII /86(53)/2005,दिनांक 05 दिसम्बर, 2005 तथा शासनादेश संख्या—525/XII/86(53)/2006, दिनांक 26 जुलाई, 2006 में विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना में ग्राम निधि के संचालन हेतु उल्लिखित व्यवस्था केन्द्र पोषित समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (**IWMP**) परियोजना में भी यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(डा0पी0एस0गुंसाई)
सचिव।

संख्या 696 /XII /11/86(53)/2005, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर सचिव,कृषि एव विपणन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2— निजी सचिव प्रमुख सचिव, एव आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तराखण्ड शासन।
3— निदेशक/संयुक्त निदेशक/पंचायतीराज, निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
4— समस्त जिला पचांयतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबंध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0एम0एस0बिष्ट)
अपर सचिव।

प्रेषक

संख्या 525/XII/86(53)2006

पी0के0महान्ति
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
2. समस्त जिलाधिकारी
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग देहरादून दिनांक 26 जुलाई,2006

विषय— विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों हेतु जलागम विकास परियोजना खाता खोले जाने के संबन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 970–1/XII/86 (53) 2006 दिनांक 05–12–06 के अनुक्रम एवं अपर सचिव कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या 581/XIII-II/70(5) 2006 दिनांक 10–7–2006 के सन्दर्भ में जलागम विकास परियोजना खाता में अधिसूचित ग्राम निधि के संचालन हेतु ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने की व्यवस्था में संशोधन करते हुये "ग्राम पंचायत की सहमति से परियोजना में पंचायत सचिवों के दायित्व ग्राम पंचायत की जल एवं जलागम समिति की महिला सदस्या को प्राथमिकता देकर अथवा महिला सदस्या के उपलब्ध न होने पर ग्राम पंचायत सदस्य में से ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य के द्वारा निर्वहन किया जायेगा"।

2— उक्त शासनादेश इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

पी0के0महान्ति,
सचिव

संख्या /XII/86 (53) 2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज उत्तरांचल देहरादून।
2. समस्त मण्डलीय, उप निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल देहरादून।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या /XII/86(53)2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य परियोजना निदेशक,जलागम प्रबंध निदेशालय उत्तरांचल देहरादून।
2. अपर सचिव, कृषि एवं कृषि विपणन विभाग उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से

उत्तरांचल शासन
पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग
संख्या 970/XII/86(53)/2006
देहरादून, दिनांक 05 दिसम्बर, 2005

अधिसूचना

उत्तरांचल में जलागम प्रबन्धन के कार्य को दी गयी वरीयता एवं जलागम प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी की महत्ता के दृष्टिगत श्री राज्यपाल, पंचायती राज अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 4077/33–2–49–49/48 जी/99 दिनांक 29 जुलाई, 1999 द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत गठित की जाने वाली समितियों में से कमांक 6 पर अंकित जल प्रबन्धन समिति के सम्बन्ध में यह सहर्ष अधिसूचित करते हैं कि समिति को प्रतिनिहित किये गये कार्यो के अतिरिक्त जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्य भी इसी समिति द्वारा सम्पादित किये जाएं। समिति का नाम इस प्रकार विस्तारित किया जाए जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति।

श्री राज्यपाल यह भी अधिसूचित करते हैं कि जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति के सभापति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे तथा सदस्यता पूर्व निर्धारित प्रकिया अनुसार तय होगी।

–sd– ह०
(विभापुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या : 970/XII/86(53)/2005 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल देहरादून।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरांचल।

आज्ञा से

–sd– ह०
(एम0सी0 उप्रेती)
उपर सचिव

संख्या : 970/XII/86(53)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस अधिसूचना को नवम्बर, 2005 के असाधारण गजट में प्रकाशित कर मुद्रित प्रति की 200 प्रतियां पंचायती राज अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

–sd– ह०,
(एम0सी0 उप्रेती)
उपर सचिव